

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक क्लर्क एवं ९.९.०-मुकाम वायव्य

बालाराम बनाम ठाकराराम केश

किसम मुकदमा रा. म्नावेदत 111.128 नं. 174 सन् 2019

RLR ACT

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7.6.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री खेताराम जाखद ने यह प्रार्थनापत्र/वाद/अपील धारा 111.128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26.6.19 को पेश हो।	
26/06/19	प्रार्थी पक्षील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील में शुद्ध अर्पण जिसे शामिल पत्रावली की जा गयी। विप्रार्थीगण लाकजुद तामील अनुपस्थित। न्यायालय सभाग भी न लाए किंगज लाई गई अर्पण का वाज 5.45 pm पर लाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अभिवक्त उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एडल्टका कार्यवाही कमल में लाई जाली की कल: सुनावली वास्ते कलम दिनांक 17/07/19 को पेश हो।	
17/07/19	प्रार्थी पक्षील उपस्थित। सीमान पीठासीन अधिकारी डिगर डायरी में लगाने होने से मित्राल इलतक वैडर आगामी दिनांक 13/08/19 को पेश हो।	
13/08/19	प्रार्थी पक्षील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। सीमान पीठासीन अधिकारी डिगर डायरी में लगाने होने से मित्राल इलतक वैडर आगामी दिनांक 08/09/19 को पेश हो।	

11/11/19

कमांक / वार / 2019 / 8

प्राथी वकिल उपस्थित / विप्राथीगण
 अनुपस्थित / प्राथी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस
 रजुनी गई प्राथी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया
 गया कि प्राथी व विप्राथीगणों के खेत सेठा सेठा आये
 हुए हैं प्राथी व विप्राथीगणों के सेठों पर जो पुरानी
 माठे व कणे आप हुए थे जो वर्तमान में आंघियों की
 बजह से बिखर गये हैं। जिससे प्राथी व विप्राथीगणों
 के सेठों का सही ज्ञान नहीं हो रहा है। वर्धात की आवक
 होने पर विप्राथीगण प्राथी के सेठों को तोड़कर प्राथी
 को अपनी खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी में खेती
 कर लेते हैं। जिससे प्राथी व विप्राथीगणों के बीच में
 तनाजा बना रहता है। इस कारण प्राथी को अपने
 खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी करवाना आवश्यक
 है। इसलिए प्राथी द्वारा प्रस्तुत नेखमबन्दी आवेदन को
 स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्राथी का नेखमबन्दी आवे-
 दन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को
 कमिशनर व सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक को सहा-
 यक कमिशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया
 जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिशनर से
 प्राथी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मूके
 पर कमिशनर शुल्क रुपये 500/- जमाकराकर करे।
 पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल फावली हो।
 फावली फेसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
 दाखिल दफतर हो।

(Signature)
 सहायक कलक्टर (अ.प.)
 बायतु 11.11.2019

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 838

दिनांक:- 6/11/19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. बालाराम पुत्र आदुराम वगैरा जाति जाट
निवासी धोलानाड़ा बोड़वा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. ठाकराराम पुत्र उमाराम वगैरा जाति जाट
निवासी धोलानाड़ा बोड़वा
तहसील बायतु(बाड़मेर)


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 174/19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा धोलानाड़ा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 163/93 रकबा 16.02 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।



क्रमांक/वाद/2019/ 839-43

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री बालाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री ठाकराराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
दिनांक:- 6/11/19

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner

